

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2454
उत्तर देने की तारीख 04.08.2025

सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

2454. श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी :

श्री बिप्लब कुमार देब :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) देशभर में कला एवं संस्कृति संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त सांस्कृतिक संगठनों की कुल संख्या त्रिपुरा सहित राज्य-वार कितनी है; और
- (ख) क्या सरकार को उक्त योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किसी संसद सदस्य या किसी संगठन से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन के क्षेत्र में कार्यरत सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनका संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है। विगत तीन वर्षों के दौरान इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाले संगठनों की संख्या और वितरित राशि का राज्य-वार, वर्ष-वार विवरण **अनुलग्नक-II** पर दिया गया है।

कला एवं संस्कृति के संवर्धन हेतु स्कीम के अंतर्गत, गैर-लाभ-अर्जक संगठन, सोसाइटियां, न्यास, विश्वविद्यालय, राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र /जिला प्राधिकरण आदि ही वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। मंत्रालय को नियमित रूप से इनसे आवेदन प्राप्त होते हैं और उनकी नियमित आधार पर जाँच की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत व्यक्ति (संसद सदस्य सहित) आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

‘सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता’ के संबंध में दिनांक 04 अगस्त, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2454 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहायता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत 5 वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात् जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00 लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात् स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लबासुरम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यक्रम/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम और चार (04) क्षेत्रीय स्तर के आरएसएम आयोजित किए गए हैं।

अनुलग्नक-II

‘सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता’ के संबंध में दिनांक 04 अगस्त, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2454 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

(i) आर.के. मिशन सहित राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता की स्कीम

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष					
		2022-2023		2023-24		2024-25	
		संगठनों की संख्या	राशि	संगठनों की संख्या	राशि	संगठनों की संख्या	राशि
1.	आंध्र प्रदेश	1	22.5	1	7.50	-	-
2.	असम	-	-	1	22.50	2	22.50
3.	चंडीगढ़	-	-	1	15.00	1	22.50
4.	दिल्ली	7	241.25	11	276.25	9	118.75
5.	हरियाणा	-	-	-	-	1	26.25
6.	झारखंड	-	-	-	-	1	15.00
7.	कर्नाटक	1	22.5	-	-	1	4.73
8.	केरल	-	-	1	18.75	2	32.50
9.	महाराष्ट्र	-	-	1	15.00	1	18.75
10.	मणिपुर	-	-	-	-	1	11.25
11.	मध्य प्रदेश	1	0.59	-	-	-	-
12.	ओडिशा	-	-	1	8.75	1	22.50
13.	पुदुचेरी	1	3.75	-	-	-	-
14.	राजस्थान	1	37.5	1	26.25	2	27.50
15.	तमिलनाडु	-	-	-	-	1	15.00
16.	उत्तर प्रदेश	2	93.75	1	22.50	1	7.50
17.	पश्चिम बंगाल (एनपी)	-	-	2	37.50	3	31.25
18.	आरके मिशन	1	738.56	1	766.50	1	807.00
कुल		15	1160.4	22	1216.50	28	1182.98

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2022-23		दिल्ली+सीएनए 2023-2024		2024-25	
		संगठनों की संख्या	राशि	संगठनों की संख्या	राशि	संगठनों की संख्या	राशि
1	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	65	62.85	83	80.7	35	66.29
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
4	असम	48	96.21	68	114.11	24	34.34
5	बिहार	123	203.2	126	161	50	99.34
6	चंडीगढ़	1	0.5	3	21.69	1	10
7	छत्तीसगढ़	3	5.5	4	7.5	3	6.42
8	दिल्ली	167	408.06	204	370.03	90	238.6
9	गोवा	1	0.625	1	1.5	1	0.62
10	गुजरात	17	23.4	16	12.34	3	3.59
11	हरियाणा	28	62.59	36	74.72	25	83.98
12	हिमाचल प्रदेश	8	11	15	25.75	10	11.8
13	जम्मू और कश्मीर	52	50.33	49	33.76	22	29.37
14	संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख	0	0	0	0	0	0
15	झारखंड	11	14.26	7	8	5	8.75
16	कर्नाटक	218	349.42	221	208.22	160	397.53
17	केरल	30	48.38	30	40.27	15	51.13
18	मध्य प्रदेश	141	264.9	161	155.17	64	148.42
19	महाराष्ट्र	56	104.12	34	29.64	16	42.13
20	मणिपुर	162	196.17	237	249.25	83	99
21	मेघालय	0	0	0	0	0	0
22	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
23	नागालैंड	5	4.62	4	1.35	1	0.25
24	ओडिशा	180	296.88	168	269.71	151	437.26
25	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0
26	पंजाब	12	23.27	11	22.65	7	17.5
27	राजस्थान	48	81.16	57	46.28	24	44.55
28	सिक्किम	0	0	1	3.75	0	0
29	तमिलनाडु	15	18.87	11	10.73	10	26

30	तेलंगाना	16	16.87	16	9.61	20	45.13
31	त्रिपुरा	16	16.15	23	24.94	6	4.5
33	उत्तराखंड	24	28.11	31	21.91	12	19
32	उत्तर प्रदेश	278	343.33	268	244.07	167	330.31
34	पश्चिम बंगाल	410	544.44	357	206.86	213	360.21
कुल		2135	3275.21	2242	2455.51	1218	2616.11

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1	अरुणाचल प्रदेश	41	117.95	32	77.00	7	20.01
2	सिक्किम	4	10.00	3	11.00	0	0
3	हिमाचल प्रदेश	42	98.52	40	97.50	2	5.99
4	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर	69	117.02	24	37.52	0	0
5	संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख	11	34.00	2	5.50	0	0
6	उत्तराखंड	58	91.24	48	64.0	2	3.50
7	दिल्ली	0	0	0	0	1	1.75
8	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0
	कुल	225	468.73	149	292.52	12	31.25

(iv) बौद्ध/तिब्बती संस्कृति और कला के विकास के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2022-23		2023-24		2024-25	
		संगठनों की संख्या	राशि	संगठनों की संख्या	राशि	संगठनों की संख्या	राशि
1	अरुणाचल प्रदेश	57	518.19	50	392.31	60	416.33
2	आंध्र प्रदेश	2	8	10	9.18	2	7.00
3	असम	9	30	15	72.00	6	24.36
4	बिहार	2	8.5	2	8.50	2	10.48
5	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	7	49.5	4	40.00	13	102.16
6	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	6	44.47	2	9.45	7	44.27
7	हिमाचल प्रदेश	78	550.97	31	167.63	36	240.99
8	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर	6	23.5	4	20.00	4	28.50
9	संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख	45	319.62	44	246.42	6	26.94
10	कर्नाटक	33	272.8	11	62.78	20	149.98
11	केरल	1	13.5	0	0	0	0
12	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
13	मध्य प्रदेश	5	29	4	30.00	1	5.00
14	महाराष्ट्र	11	38.25	14	41.00	4	13.24
15	मणिपुर	2	5.5	3	9.50	1	3.00
16	ओडिशा	1	5	2	12.00	2	11.00
17	पंजाब	2	8.5	2	10.00	0	0
18	सिक्किम	0	0	12	89.93	2	24.70
19	त्रिपुरा	7	37.5	7	41.5	17	97.20
20	तमिलनाडु	0	0	2	10.00	0	0
21	तेलंगाना	2	22.5	3	30.00	0	0
22	उत्तराखंड	26	252.42	5	35.50	25	253.72
23	उत्तर प्रदेश	27	195.28	11	44.15	15	105.62
24	पश्चिम बंगाल	72	168.00	92	175.51	19	36.00
कुल		401	2601.00	330	1557.36	242	1600.49

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु स्कीम

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2022-23		2023-24		2024-25	
		संगठनों की संख्या	राशि	संगठनों की संख्या	राशि	संगठनों की संख्या	राशि
1.	असम	1	5.4	0	0	0	0
2.	बिहार	1	0.6	1	6	0	0
3.	छत्तीसगढ़	1	7.5	0	0	0	0
4.	दिल्ली	0	0	2	11.2	3	23.25
5.	हिमाचल प्रदेश	1	12.79	1	6	2	20
6.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	2	10
7.	कर्नाटक	3	26.4	1	25	0	0
8.	केरल	1	1.4	0	0	0	0
9.	मध्य प्रदेश	1	3	0	0	4	16.86
10.	महाराष्ट्र	0	0	2	8	2	25
11.	मणिपुर	4	15.98	6	35.23	2	3.88
12.	मेघालय	0	0	0	0	1	4.5
13.	ओडिशा	0	0	0	0	2	21.5
14.	पंजाब	0	0	1	2	1	0.9
15.	राजस्थान	1	7.5	0	0	0	0
16.	तेलंगाना	1	4.29	0	0	0	0
17.	पश्चिम बंगाल	5	34.61	1	15	4	24.2
कुल		20	119.47	15	108.43	23	150.09

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2024-25	
		संगठनों/राज्य सरकारों की संख्या	राशि
1	उत्तर प्रदेश	2	120
कुल		2	120
